

पुनी गद्दी/पत्रावली वाले कोदेश
दि० 16/9/25 को पेश हो।

16/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील सापल उपय
वकील सापल की सकपक्षीय वदत पर
मगत डिमा रकम कावली का अवेकलमन
डिमा/मुदासिह राजस्वरिकाडी सापल एवं
गोरसापल सं. 1, 2 वदिला करावरत के
निवाडित कारागी खानों 652, 1093 वक
गुण वंध का नेगला उदर सुरौठ ई सदजोरिफार
काइतकार ही पक्षकाराण के मध्य विवादित
कारागीमाट का वं श्वाय का वाड चल रहई,
जिसे जांडिकी प्रारित हो चुके ई इसलिए
मूल डावे के निहाराण तक निवाडित कारागीमाट
के बावरत पक्षकाराण के मध्य कांर विवाद नहीं
वदे। इसलिए विवादित शक्ति के ~~सिद्ध~~ मोके की
प्रथा लिपति वगैरे रखना न्यायचित उतीर
होता ई।

कार: सापलका आठ पत्र अल्पाई निषेधा. शा।
विरुद्ध गोरसापलान लीकार डिमा जाकर उदर
उकरण में दि० 23/6/2025 को जारी अन्तरिम
रूपगत कोदेश को मूल डावे के निर्णय तक
कनफर्म डिमा जागा ई। पत्रावली फंसल पुनर
डोक बाड तकमील नम्वर से कम की जाकर
मूल डावे के साथ शामिल फिसल रहे।

कोदेश जुले न्यायालय में मुनाफा गफ।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (कौली)